



राज्य - ६४७

क्रमांक - ४२

खीट - ३

क्रमांक - ७२८

नापालम् उप जिलाधिकारी द्वारा देख कर्तवी राजीत - ७२८

मु-नापाल के साक्षी देवी भालाचिहालम कोदबट जीर्ण प्रवन्धक अधिकारी
मु-मुन्ना पाल साक्षी कोदबट नाम - आचम्भ भूमि प्रवन्धक
भवित्वे कोदबट घ उन्प ।

वाद दिनांक ०५/१२/२०१२ अनुर्धा दाता - १५३ जलधि भाली निम्न
मीणा - कोदबट ताला लहाना पाला चाडली श्रुति रामनिल
नवदय जिला - उन्ह काली नगर ।

नकल आदेश दिनांक - २२-१२-१२ ।

मीट - नकल आदेश दिनांक - २२-१२-१२, द्वा - काला गाँड़ छत्तीं
—



न्यायालय उपजिलाधिकारी, धनघटा संतकबीरनगर।

८०/४७

वादप्रयोग/ ५४/२०१८

मुन्नापाल, कैलाशीदेवी महाविद्यालय वादसंख्या ५/अन्तार्गत धारा 143, ज0विं0अधिं0

कोदवट जरिए प्रबन्धक श्रवणपाल मौजा ग्राम कोदवट, तप्पा सतहरा, परगना

पुत्र मुन्ना पाल साकिन कोदवट महुलीपूरब, तहसील धनघटा, संतकबीरनगर

बनाम

अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति कोदवट व अन्य

आदेश



प्रश्नगत वाद श्री श्रवण पाल प्रबन्धक मुन्नापाल, कैलाशीदेवी महाविद्यालय कोदवट द्वारा ज0विं0अधिं0 की धारा 143 के अन्तार्गत इस कथन के साथ वाधित किया गया है कि ग्राम कोदवट, तप्पा सतहरा स्थित आराजी संख्या 1402, 424 व 397 जरिए बैनामा प्राप्त किया है और बैनामे के आधार पर नामान्तरण आदेश परित हो चुका है। बैनामेशुदा भूमि पर विद्यालय का भवन बना हुआ है भूमि जोती - दोई नहीं जा रही है। अन्त में अनुरोध किया है कि आराजी निजाई के 1.039 हेक्टेक्टरों को अकृषिक घोषित किया जाय।

श्री श्रवण पाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धनघटा से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार धनघटा ने रा०नि०की जांच आख्या दिनांक 17.12.12 को सस्तुति सहित अग्रसारित किया। रा०नि०ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वादी श्रवण पाल ने ग्राम कोदवट स्थित आराजी संख्या 397/0.472 में से 0.076, आराजी संख्या 424/0.341 में से 0.171 व आराजी संख्या 402/1.230 में से 0.792 हेक्टेक्टरों का बैनामा लिया है। बैनामाशुदा भूमि में मुन्नापाल, कैलाशीदेवी महाविद्यालय कोदवट का भवन व चहरबीवारी निर्मित है। आराजी निजाई में कृषि कार्य नहीं हो रहा है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार धनघटा की जांच आख्या व अन्त जांच का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि ग्राम कोदवट वि० आराजी संख्या 397/0.472 में से 0.076, आराजी संख्या 424/0.341 में से 0.171 व आराजी संख्या 402/1.230 में से 0.792 कुल 1.039 हेक्टरों भूमि बतौर बैनामा अवलम्बन

०२२
B

३३१८

द्वारा प्राप्त करने के पश्चात उसमें बतौर महाविद्यालय का भवन व चहरदीवारी बनाकर काबिज है। आराजी निजाई जोती बोई नहीं जा रही है, अरतु आराजी निजाई के उक्त रखे को कृषि से इतर घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः ग्राम कोटवटी तथा सतहरा परगना महुलीपूरब, तहसील धनघटा रियत आराजी संख्या ३९८/०.४७२ में से ०.०७६, आराजी संख्या ४२४/०.३४१ में से ०.१७१ व आराजी संख्या ४०२/१.२३० में से ०.७९२ कुल १.०३९ हेक्टर मालगुजारी २०.६७ रुपया कृषिएत्तर कार्यों हेतु घोषित किया जाता है। आदेश का अनुपालन जब भी नई खतोनी निर्भित हो विवरण के पालन में अंकित किया जावे। आदेश की प्रभागित प्रति उपनिवन्धक धनघटा को निःशुल्क निवन्धन हेतु भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफतर हो।



०५
उपनिवन्धक
धनघटा, संतकबीरनगर।

धनघटा, संतकबीरनगर।

प्रभागित सत्य-प्रतिलिपि।

प्रभागित सत्य-प्रतिलिपि पाल

दस्तु कबीर नद ०३।४।१८

कारीब दाखिला—	२०।०।०।०
कारीब रैयारे—	०३।०।०।०
कारीब वापसी—	०३।०।०।०